देश में बिना डाकघरों वाले गांव

882. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :**
श्री ईशदत्त यादव :
श्री महेश्वर सिंह :
श्री इकबाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 40 प्रतिशत गांवों में अभी भी डाकघर नहीं हैं जबकि ये गांव नए डाकघर खोले जाने के सभी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार ऐसे गांवों का राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें डाकघर की सुविधा से वंचित रखा गया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में नए डाकघर खोले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पंचायतों/गांवों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां पिछले वर्ष के दौरान डाकघर खोले गए तथा इस वर्ष के दौरान नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) डाकघर विभागीय मानदंडों की पूर्ति होने पर ही खोले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं।

	सामान्य क्षेत्र	पहाड़ी, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्र
जनसंख्या	3000	1000
निकटतम डाकघर से दूरी	3 कि. मी.	3 कि. मी.
लागत की तुलना में आय	33⅓ प्रतिशत	15 प्रतिशत

मानदंडों की पूर्ति होने पर, प्राथमिकता ग्राम पंचायत मुख्यालयों को दी जाती है।

डाकघर खोलने के लिए पात्र गांवों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) जहां तक 1993-94 का संबंध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1994-95 में डाकघर खोलने से संबंधित लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बीमाकृत वस्तुओं के बीमे संबंधी दावे

883. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीमाकृत सामानों के खो जाने की स्थिति में बीमा दावे की देय धनराशि में संशोधन करने का विचार रखती है तथा क्या सरकार इस प्रकार की घटना को उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) किसी बीमाकृत वस्तु के गुम हो जाने के मामले में डाक वस्तु का जितनी राशि का बीमा कराया गया है, मात्र उतनी राशि तक की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान नियमों में पहले से ही है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति की देय राशि किसी भी हालत में, गुम हुई वस्तुओं के मूल्य या नुकसान की राशि से अधिक न हो। डाक सेवाएं पहले से ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। तथापि, सरकार की देयता उस हद तक सीमित है, जितनी भारतीय डाकघर अधिनियम में निर्धारित है।